न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 822–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–12–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 365/अपील/11–12.

अशोक पिता बाबूलाल
निवासी ग्राम सुवासरा
जिला मन्दसौर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन
2– ओ.पी. राजोरिया, अभिभाषक
निवासी कोर्ट परिसर सीतामऊ
जिला मन्दसौर .....प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा कलेक्टर, जिला मन्दसौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुवासरा में श्री हनुमानजी का मंदिर स्थित है, इस मंदिर के भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे नम्बर 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013 एवं 1014 कुल रकबा 0.606 आरी भूमियां है । मंदिर की उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि को अनुविभागीय अधिकारी, सीतामऊ द्वारा प्रकरण कमांक 146/बी–121/01–02 में दिनांक 27–8–2002 को आदेश पारित कर हनुमान मंदिर प्रबंधक कलेक्टर का नाम कम कर दिया गया है और कैफियत के कॉलम में आवेदक का नाम दर्ज किया गया है । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 160/बी–121/04–05 दर्ज कर तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर दिनांक 26–9–05 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष दिनांक 9–3–12 को 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के

अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–12–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित । अतः प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का अभिलेख मंगाये बिना एवं अभिलेख देखे बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित है । यदि कोई व्यक्ति अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित है तो उसे संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपील करना चाहिए, किन्तु कलेक्टर द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में भूल की गई है ।

(3) कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी का आदेश कलेक्टर के प्रकरण कमांक 160/बी–121/2004–05 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, किन्तु पुनः इसी न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण कमांक 62/बी–121/2010–11 में दिनांक 30–11–2011 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण पुनर्विलोकन करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । इस प्रकार एक ही आदेश को दो–दो बार निरस्त किया गया है, जो कि अपने आप में गंभीर भूल है । अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त भूल को नजरअंदाज कर दिया गया है ।

उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27–6–2002 यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अपील मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में

तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिसमें श्री हनुमान मंदिर की प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व से ही प्रबंधक कलेक्टर दर्ज होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा भी विवेचना उपरांत कलेक्टर का आदेश इस निष्कर्ष के साथ स्थिर रखा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के खसरा पांचसाला वर्ष 1934–35 लगायत 1937–38 में मंदिर पुखता श्री हनुमानजी वाके देह हाजा. मण्डी ऐहतमात पुजारी हाबुराम के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में थी । मंदिर की भूमि को कोई व्यक्ति खुर्द–बुर्द न कर सके, इसी उद्देश्य से मंदिर की भूमि पर जो प्रविष्टि दर्ज थी, उसमें व्यवस्थापक कलेक्टर का नाम दर्ज किया गया था । उक्त प्रविष्टि को निरस्त करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं होते हुए भी उनके द्वारा क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जो कि पूर्णतः विधिसंगत हैं । इस सम्बन्ध में 2005 आर.एन. 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> "धारा 50–निचले दो न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में भी कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर